



स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत सांविधिक निकाय
Statutory Body under the Ministry of Health & Family Welfare

F.No-22-40/Web/2020-INC


Dated: 6 JUN 2022

NOTIFICATION-9 OF 2022

Sub: Inspection of Nursing Institutions by Indian Nursing Council under Section 13 of the INC Act- reg.

This is in reference to the inspections to be conducted of all the Nursing Institutions recognised by State Nursing Registration Councils (SNRC's) / found suitable by Indian Nursing Council. Indian Nursing Council shall issue the letters in the form of emails where in Inspection- ID's will be shared with the Institutions which has to be filled by the Nursing Institutions while filling the online inspection proforma.

It is therefore requested to all the Nursing Institutions to check their emails regularly. If the email have been changed, the same may be informed to the nodalofficer.inc@gov.in along with the Institutional codes(school/ fees code) so that it can be changed in the records. INC will not consider any excuse if the Institution has not filled the proforma. Further, it may be noted that at times "gov.in" mails is not found in "inbox folder", in such cases you may check the same in your "spam/ junk folder" also.


K.S. Bharati
Joint Secretary

Copy forwarded to:

1. All the Nursing Institutions.
2. INC Website.



F.No. 22-40/Web/2020-INC

दिनांक: 6 जून, 2022

अधिसूचना संख्या - 9 / 2022

विषय: भारतीय उपचर्या परिषद अधिनियम की धारा 13 के तहत भारतीय उपचर्या परिषद द्वारा नर्सिंग संस्थानों का निरीक्षण - के संबंध में

यह अधिसूचना, राज्य उपचर्या पंजीकरण परिषदों (एसएनआरसी) द्वारा मान्यता प्राप्त तथा भारतीय उपचर्या परिषद द्वारा उपयुक्त पाए गए सभी नर्सिंग संस्थानों के निरीक्षण के संदर्भ में जारी की जा रही है। भारतीय उपचर्या परिषद द्वारा ई-मेल के जरिए पत्र जारी किए जाएंगे जिसमें संस्थानों को निरीक्षण-आईडी दिए जाएंगे, जिसे नर्सिंग संस्थानों द्वारा ऑनलाइन निरीक्षण प्रोफार्मा भरते समय भरना होगा।

इसलिए सभी नर्सिंग संस्थानों से अनुरोध है कि वे अपने ई-मेल इनबॉक्स फ़ोल्डर को नियमित देखते रहें। यदि ई-मेल बदल गया है, तो इसकी सूचना nodalofficer.inc@gov.in पर संस्थागत कोड (स्कूल / फीस कोड) के साथ तुरंत दी जानी चाहिए, ताकि इसे रिकॉर्ड में बदला जा सके। यदि संस्थान ने प्रोफार्मा नहीं भरा है तो भारतीय उपचर्या परिषद किसी भी प्रकार के बहाने पर विचार नहीं करेगी। इसके अलावा, कृपया ध्यान दें कि कभी-कभी gov.in मेल इनबॉक्स फ़ोल्डर में नहीं मिलते हैं, इससे बचने के लिए ऐसे मामले में आप अपने spam / junk फ़ोल्डर को भी नियमित रूप से देखते रहें।

Sd/-
के.एस. भारती
संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि अग्रेषित:

- सभी नर्सिंग संस्थान
- भारतीय उपचर्या परिषद वेबसाइट